 आप. प्रक. कं. 1501/22

Witness No….....**01**.....,for–.....**अभियोजन**.....

Deposition taken on the **...02.08.2023**.....,day of - witness's apparent age **–....56.....वर्ष**

States affirmation on oath.....**शपथपूर्वक**..... my name is **–.....आशाराम शाक्य.**

D/W/S of – **.....श्री लालाराम शाक्य**....occupation**–.....आबकारी उपनिरीक्षक**.....

Address **– .....आबकारी वृत्त बालोद, जिला–बालोद छ0ग0**.....

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 03:30 बजे।

01. मैं सन् 2022 में आबकारी वृत्त बालोद में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। पदस्थापना के दौरान दिनांक 24.09.2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी द्वारा ग्राम पड़कीभाट स्थित आरोपी के रिहायशी मकान में अवैध रूप से मदिरा बिक्री की सूचना मिलने पर मैंने मेरे द्वारा गवाह श्रवण कुमार एवं कोमेश को मुखबिर सूचना के संबंध में बताकर मौके पर साथ में जाकर विवेचना में सहायता हेतु सहमति लेते हुए गवाहों को 160 की नोटिस दिया जो प्रपी–1 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके उपरांत मैंने जामातलाशी एवं बरामदगी पंचनामा तैयार किया जो प्रपी–2 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया जो कि प्रपी–3 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आरोपी को रिहायशी मकान की तलाशी हेतु मेरे द्वारा नोटिस दी गई थी जो कि प्रपी–4 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। सीलचिट तैयार किया गया जो कि प्रपी–5 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं एवं सील नमूना ब से ब, स से स, द से द भाग पर है। आरोपी को धारा 91 की नोटिस दी गई वैध दस्तावेज के संबंध में आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज पेश नहीं करना लेख कर हस्ताक्षर किया गया जो कि प्रपी–6 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे ब से ब व स से स भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा तैयार किया गया जिसमें आरोपी के मकान के अंदर से एक काले कलर के बैग में 31 नग पाव देशी मदिरा प्लेन प्रत्येक में 180 एम.एल. 5. 58 बल्क लीटर की बरामदगी कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया जो कि प्रपी–7 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग पर थाना नमूनाशील है। गिरफ्तारी के कारण की सूचना आरोपी को दी गई जो प्रपी–8 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर अरोपी के हस्ताक्षर हैं।

आरोपी को मौके पर गिरफ्त्तार किया गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया जो प्रपी–9 है जिसके अ से अ भग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई जो कि प्रपी–10 है जिसके अ से अ भग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर आरोपी के परिजन के हस्ताक्षर हैं। मौके पर घटना स्थल का नक्शा तैयार किया जो प्रपी–11 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मकान आधिपत्य पंचनामा तैयार किया गया जो कि प्रपी–12 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। तलाशी के बाद जामा तलाशी पंचनामा तैयार किया गया जो कि प्रपी–13 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण श्रवण कुमार, कोमेश का पुलिस कथन गवाहों के बताए अनुसार मेरे द्वारा लेखबद्ध कर अभियोग पत्र में संलग्न किया गया। मेरे द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी बालोद को प्रकरण के संबंध में सूचना दी गई जो कि प्रपी–14 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 72/22 पंजीबद्ध किया गया फॉर्म पी8 भरकर अभियोग पत्र में संलग्न किया गया जो कि प्रपी–15 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अपराधी के पूर्व रिकॉर्ड की जानकारी हेतु मेरे द्वारा थाना बालोद को पत्राचार किया गया था जो कि प्रपी–16 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में संलग्न किया गया। मेरे द्वारा घटना स्थल के पटवारी नजरी नक्शा हेतु तहसीलदार बालोद से पत्राचार किया गया जो कि प्रपी–17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पटवारी नजरी नक्शा प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में संलग्न किया गया। जप्त द्रव्य को मेरे द्वारा सुरक्षित आबकारी कार्यालय के आबकारी मालखाना में मेरे स्वयं के द्वारा जमा कर मालखाना रजिस्टर की प्रति अभियोग पत्र में संलग्न की गई जो कि प्रपी–18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना बाद परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधि0 श्री प्रदीप कुमार सोनवानी, वास्ते आरोपी//

02. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हम लोग कितने स्टॉफ दौरा में पड़कीभाट गए थे। साक्षी स्वतः कहता है कि घटना दिनांक को तीन से चार लोग दौरा में गए थे। बालोद से सुबह 10 से साढ़े 10 बजे के करीब दौरा के

निकले। हमें पड़कीभाट पहुंचने में लगभग आधा घंटा का समय लगा होगा। यह कहना सही है कि हम लोग सीधे आरोपी के घर के पास गए थे। जिस समय हम लोग आरोपी के घर पहुंचे उस समय उनकी दादी घर पर थी। यह कहना गलत है कि प्रवेश द्वारा के सामने में किचन है। यह कहना सही है कि घर किसके नाम पर है इसके संबंध में मेरे द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूं। साक्षी स्वतः कहता है कि इस संबंध में मेरे द्वारा तहसील के माध्यम से पटवारी द्वारा प्रस्तुत कागजात प्रकरण के साथ संलग्न है। मेरे जानकारी के मुताबिक अभियुक्त के घर में तीन कमरे, एक किचन और एक हॉल है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्त के घर के तीसरे नंबर के कमरे से मदिरा जप्त किए हैं। साक्षी स्वतः कहता है कि घर में प्रवेश करते ही प्रथम कमरा जो बायी हाथ पर है उस कमरे से मदिरा जप्त किए हैं। यह कहना गलत है कि साक्षी कोमेश घटना समय को मेरा गाड़ी चला रहा था। यह कहना सही है कि एक काले कलर के बैग में 31 नग शराब जप्त किए थे। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जप्तशुदा शराब को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। साक्षी स्वतः कहा कि मेरे द्वारा मालखाना पंजी जिसमें मदिरा का इंद्राज किया जाता है उस पंजी की फोटो प्रति प्रकरण के साथ संलग्न किया है। धारा 34 (2) के प्रकरण में बरामदशुदा शराब को राजसात हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है वहां से निराकरण पश्चात उक्त मदिरा को नष्टीकरण हेतु मद्य भंडागार में जमा कर नष्टीकरण के प्रक्रिया की जाती है। जप्तशुदा द्रव्य को जिस दिन माल पकड़ते हैं कार्यवाही पश्चात कार्यालय में आकर मालखाना पंजी में जमा करते हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बरामद शराब में से रेण्डमली 4 नग निकालकर परीक्षण किया गया था। यह कहना सही है कि लिटमस पेपर का मैंने अवसान एवं निर्माण का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी स्वतः कहता है कि हमारे पास जो लिटमस पेपर परीक्षण कि लिए आता है उसमें अवसान एवं निर्माण तिथि का उल्लेख नहीं रहता है। यह कहना गलत है कि प्लेन मदिरा का स्प्रीट 42 यूपी होता है। साक्षी स्वतः कहता है कि प्लेन मदिरा की तेजी 50 यूपी होती है। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों को धारा 160 का नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने मुखबिर पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने जामा तलाशी पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने आरोपी के अभियुक्त के रिहायशी मकान से 31 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने

बरामदगी पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने मदिरा का परीक्षण पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने मदिरा का परीक्षण नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने बिना परीक्षण के झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त को धारा 91 का नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से मदिरा की जप्ती मेरे द्वारा नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने घटना स्थल पर जप्ती पत्रक पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था तथा गिरफ्तारी की सूचना भी नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने मौके का नक्शा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों के समक्ष कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने मौके का आधिपत्य पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने जामा तलाशी पंचनामा घटना स्थल पर तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने आरोपी के मकान से कोई भी मदिरा जप्त नहीं किया था तथा मौके पर सीलबंद भी नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने नमूमाशील पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने झूठी विवेचना कर अभियुक्त को झूठे प्रकरण में फंसाया है। यह कहना गलत है कि मैंने समस्त कार्यवाही अपने कार्यालय में बैठकर तैयार किया है।

मुख्य परीक्षण समाप्त समयः–04:00 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।

गवाह का हस्ताक्षर

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.